

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/85
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00076
CICOM/R/2017/001495

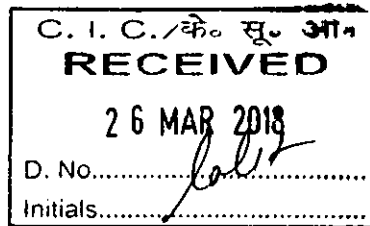
दिनांक: 26.03.2018

अपीलकर्ता : श्री घनश्याम लाल शर्मा,
ए-99, फ्लैट नं. 12 (द्वितीय तल),
शताब्दी अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2,
साहिबाबाद, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201005.
मो0 - 8375069308.

निर्णय की तारीख: 26.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.03.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	108/16.03.2018 (116691/15.03.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से राजस्थान राज्य सूचना आयोग से संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 15.12.2017 को आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया एवं श्री ए. के. शर्मा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 को सूचना प्रदान की गई। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर ही प्रथम अपील दाखिल करना अपेक्षित होता है, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल करने हेतु समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद दिनांक 12.03.2018 को प्रथम अपील दाखिल किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 को पत्र सं. CICOM/R/2017/001495 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया जा चुका है कि "राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं इसलिए राज्य सरकार से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है"।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।





(आर. के. सिंह)

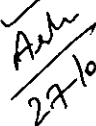
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


27/03/18